

घोषणा / Declaration

मैं/हम सत्यनिष्ठा से आश्वासन और बचन देता हूँ/देते हैं कि :

- (क) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम अनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांक से 2 वर्षों के अन्तर्गत अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति लेने और इस प्रकार आपूर्ति ऊर्जा और टैरिफ आदेश में उपरवर्णित दरों पर अन्य सभी प्रकार का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/रखते हैं।
- (ख) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी का वितरण संहिता (कोड) जो उसमें उल्लिखित किन्हीं उपांतरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबन्धों का इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबन्धों से जहाँ तक कि ये प्रयोज्य हैं, बाध्य होने को सहमत हूँ/हैं।
- (ग) मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबन्धों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि यह उपरोक्त कथित वितरण संहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।
- (घ) मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि समज्ञप्तिधारी की आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियंत्रण से परे हैं, उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।
- (ङ) मैं/हम यह यमझाता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात् इस संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है।
- (च) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा किए गये इस घोषणा पत्र का अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जाएगा।
- (छ) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन पत्र में गये सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी बाद की दिनांक पर गलत पायी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति का रोक देने/काट देने जैसी स्थिति हो, का अधिकार होगा।
- (ज) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरण से कोई अनाधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या मीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुझे/हमको उपलब्ध करायी गयी ऊर्जा को विधिसम्मत और प्राधिकार पूर्ण उपयोग किया जाए। उस दिश में जबकि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार हो उपकरण में अप्राधिकृत परिवर्धन/परिवर्तन चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, किया गया है या चोरी या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोजन या मीटर को छेड़ते हुए विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है। या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञप्तिधारी का कोई परामर्हित प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण मीटर और वायरिंग आदि के सामान्य निरीक्षण और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।
- (झ) मैं बचन देता हूँ जब कभी यह परिसर जिसके लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है खाली करता है ताकि अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत वितरण संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करूंगा।
- (ञ) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उस स्थल पर जहाँ संयोजन लिया जा रहा है, पर पूर्व का किसी भी प्रकार के संयोजन का कोई बकाया नहीं है एवं वचन देता हूँ कि यदि बकाया पाया जाता है तब उसका भुगतान दायित्व मेरा होगा।

दिनांक :

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम सहित

निम्न प्रपत्र संलग्न करें –

- | | |
|--|----------|
| 1. बत्ती पंखा संयोजन स्वघोषित प्रमाण पत्र | हाँ/नहीं |
| 2. परिसर के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य। यदि आवेदक परिसर का स्वामी नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र संलग्न किया जाए (रजिस्ट्री/वैध किरायानामा) मकान मालिक की सहमति | हाँ/नहीं |
| 3. आधार कार्ड की प्रति। | हाँ/नहीं |
| 4. राशन कार्ड की प्रति। | हाँ/नहीं |
| 5. बी.पी.एल./ए.पी.एल. कार्ड की प्रति। | हाँ/नहीं |
| 6. पासपोर्ट/भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस (यदि हो तो) | हाँ/नहीं |
| 7. बैंक एकाउण्ट पासबुक की छायाप्रति | हाँ/नहीं |
| 8. वोटर आई-डी। | हाँ/नहीं |

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम सहित

संयोजन लेने वाले आवेदक का भवन सहित फोटो चिपकायें

(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जायेगा)

1. प्राप्त आवेदन की तारीख :
2. स्वीकृत अनुबन्धित भार :
3. आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख :
4. उपभोक्ता सं./संयोजन सं. :
5. मीटर सं. :

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिध के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए श्री/श्रीमती..... का आवेदन-पत्र, जो सभी सम्बन्धों में पूर्ण है/निम्नलिखित कमियां हैं, को प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदक को सभी भावी पत्राचार में प्रयुक्त किए जाने के लिए निर्देश सं. दिया जाता है।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिध के हस्ताक्षर

प्रारूप

(नई आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी सम्पत्ति-पत्र)

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता

(अनुज्ञप्तिधारी का पता)..... अभियन्ता.....

मैं श्री/श्रीमती..... पिता/पति का नाम..... पता का

परिसर सं. का विधिक स्वामी होने के कारण एतद्वारा निम्न रूप से सहमत हूँ: मैं श्री/श्रीमती..... पिता/पति का नाम..... द्वारा किराये पर दिये गये पूर्वोत्तर परिसर में आप द्वारा आपके और पूर्वोत्तर परिसर के किराएदार के बीच करार के निबन्धों के अधीन की आपूर्ति के लिए विद्युत सेवा के बिल, मीटर, तार बिछाने, और उपकरणों किराएदार से आपकी संविदा के अवसान के लिए प्रन्ध करने के लिए आपको समर्थ बनाने के लिए आपको समर्थ बनाने के लिए आपको अग्रिम 15 (पन्द्रह) दिनों की सम्यक् नोटिस दूंगा, जिसमें असफल रहने पर मैं किसी हानि के लिए उत्तरदायी हूँगा, जो उस कारण उत्पन्न हो।

उक्त स्वामी..... द्वारा की उपस्थिति में हस्ताक्षरित साथियों के नाम पता

प्रारूप

(यदि आशयित उपभोक्ता परिसर का स्वामी नहीं है)

क्षतिपूर्ति का सम्मति-पत्र

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता

(अनुज्ञप्तिधारी का पता)..... अभियन्ता.....

चूंकि वह भूमि/परिसर जिसका विवरण नीचे दिया गया है, श्री/श्रीमती..... के स्वामित्व में है और मैं उक्त भूमि/परिसर का केवल पट्टेदार/किरायेदार/अभियोगी हूँ जहां पर बिजली के कनेक्शन हेतु मैंने आवेदन किया है मैं श्री/श्रीमती

पिता/पति का नाम..... पता से इस विषय में सम्मति प्राप्त नहीं कर सका हूँ लेकिन मैंने उक्त

भूमि/परिसर के अभियोग का सबूत अर्थात विधिमान्य मुख्यतारनामा/किराये की नवीनीतम रसीद/पंजीकृत पट्टा अभिलेख उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः आपूर्ति की शर्तों पर जिसके लिए मैंने अनुबन्ध किया है मुझे बिजली के कनेक्शन की स्वीकृति होने पर अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली सभी प्रकार की क्षतियों और दावों की क्षतिपूर्ति करने और उसे उपहानि से मुक्त रखने को सहमत हूँ। इसमें कथित भूमि/परिसर के स्वामी (भाडे या मालिक श्री/श्रीमती.....पिता/पति का नाम..... पता

..... या कोई अन्य हो) द्वारा कार्यवाही की धमकी दी जाने या उसके अनुरोध के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसा कोई नुकसान, क्षति या

कोई अन्य दावा मुझसे या मेरी सम्पत्ति से, वसूली किये जाने के समय लागू राजस्व वसूली अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के अन्तर्गत, या ऐसी किसी कार्यवाही द्वारा जिसे अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिकता देना उचित समझता है, वसूल किये जाने योग्य है।

मैं स्वयं को ऐसी वसूली और कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय के लिए भी उत्तरदायी मानता हूँ।

पट्टेदार/किरायेदार/अभियोगी के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

साक्ष्य :

(अवर अभियन्ता/जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम सहित)

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम सहित

विद्युत सम्बन्धित शिकायतों एवं बिजली चोरी की सूचना निःशुल्क हेल्पलाइन नं0 1912 पर जानकारी दें।

“एल.ई.डी. बल्ब अपनाये, बिजली का बिल बचाये”